

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 06.04.2021

थाना रूरा

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 68/21 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त बृजलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग धारा 107/116 दं0प्र0सं0 में वारन्टी अभियुक्तगण अजय कुमार आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 105/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त राकेश कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 391/14 धारा 452/354/323/504/506/427 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त कृपाशंकर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 879/16 धारा 452/354/323/504/506/427 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त नूरअहमद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 143/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त शहजाद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मंगलपुर

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग वाद सं0 1275/19 धारा 506 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त लल्लू दर्जी को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 248/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त अवनीश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 187/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त अरविन्द यादव को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना राजपुर

दिनांक 05.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 38/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त कामता प्रसाद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।